(भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशना र्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 57/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त, 2018

सा.का.नि. (अ),-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 377क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"377ख	73181500, 73269099	सेलुलर मोबाईल फोन के स्क्रू या सिम साकेट/अन्य मैकेनिकल आइटम्स (धातु के)	15%	-	-"।

[फाइल संख्या 341/15/2018- टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिवय, भारत सरकार

नोट:- प्रधान अधिसूचना 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 56/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 3 अगस्त, 2018, सा.का.नि. 740 (अ), दिनांक 3 अगस्त, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया है ।